पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के तहत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 117/1975 राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 के तहत दिनांक 30.12.1975 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 117/1975 राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंगज एक्ट 1973 के तहत इस न्यायालय में प्रार्थी श्री नाथूसिंह द्वारा बतौर अपीलार्थी अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 30.12.1975 को निर्णय पारित किया गया था। अतः प्रार्थी श्री नाथूसिंह को इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 117/1975 में पारित उक्त निर्णय दिनांक 30.12.1975 की भलीभांति जानकारी होते हुए भी प्रार्थी द्वारा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2019 को लगभग 44 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है एवं लगभग 44 वर्ष पश्चात रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई ठोस आधार नहीं बताया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम 1963 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तदनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को भी खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner